बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अरूण कुमार मिश्रा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबन, पूर्वी चम्पारण को श्री शिवजी राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा प्रदत्त परिवाद की विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री राशिद आलम द्वारा किये गये जॉच में कूपन व्यवस्था का अनुपालन नही करने, अनुदानित खाद्यान्न एवं किरासन तेल की कालाबाजारी में संलिप्पता एवं धोखाधड़ी तथा गबन के आरोप प्रथम द्रष्टव्या प्रामाणित पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) के आलोक में निलंबित किया जाता है।

2 श्री मिश्रा का निलंबन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी कार्यालय में मुख्यालय होगा।

3 निलंबन अवधि में श्री मिश्रा को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4 श्री मिश्रा के विरूद्व विभागीय कार्यवाही का ज्ञाप अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/–
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 मोतिहारी 14/2012 3953 खाद्य, पटना दिनांक– 26/6/2012

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ प्रशाखा पदा– 03,/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अरूण कुमार मिश्रा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:sec-8/ nilaban adesh